आपातकाल के वे खौफ भरे दिन

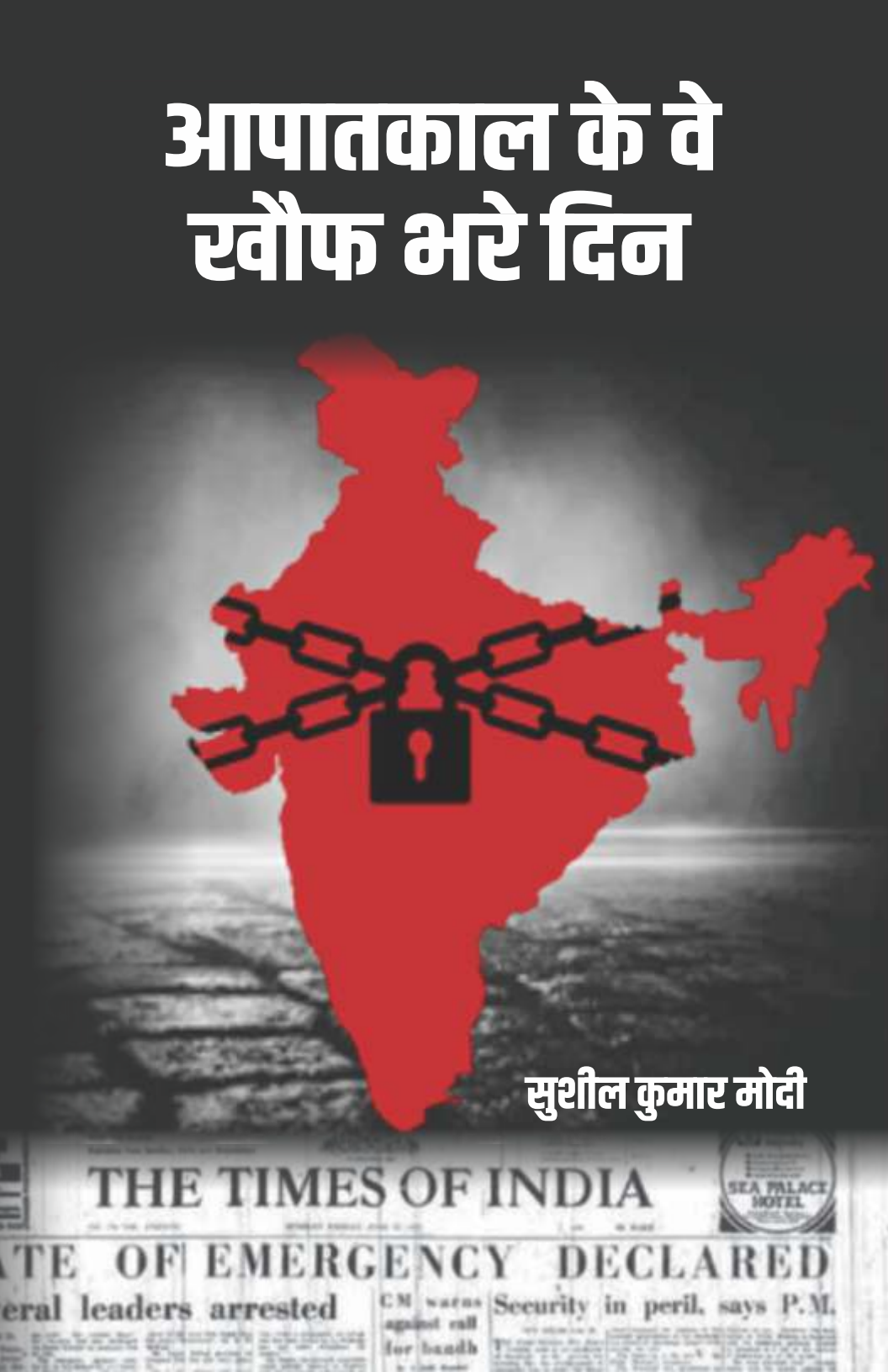

सुशील कुमार मोदी

आपातकाल के बाद जनता ने कराया वोट की ताकत का एहसास

समाजवादी नेता राज नारायण को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में यूपी की रायबरेली सीट से 1 लाख 10 हजार वोटों से हराया था। उसी राज नारायण ने 1977 में अजेय समझी जाने वाली दुनियां की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्रीमती इंदिरा गॉधी को 55 हजार वोटों से हरा दिया। बगल की अमेठी सीट से उनके पुत्र संजय गांधी जो सत्ता की संविधानेत्तर शक्तिपीठ माने जाते थे को जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता रवीन्द्र सिंह ने 75 हजार वोटों से हरा दिया। बड़ौदा डाईनामाईट केस में फँसा कर जेल में डाले गए जार्ज फर्नांडिस बिहार की मुजफ्फपुर सीट से तीन लाख मतों से चुनाव जीत गए। लोगों को इन समाचारों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या इंदिरा गांधी, संजय गांधी भी चुनाव हार सकते है? हर जुबान पर एक ही प्रश्न था।

पूरे उत्तर भारत में जनता ने एकमुश्त जनता पार्टी को वोट दिया। कॉंग्रेस केवल 1 सीट राजस्थान और 1 सीट मध्य प्रदेश में जीत पायी थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियणा, दिल्ली, हिमाचल में कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। एक भी सीट नहीं जीत पाई। दक्षिण भारत, जहां इमरजेंसी की ज्यादतियाँ कम थीं, वहां कॉंग्रेस को कुछ सीटें मिल गई। लोकनायक जेपी के मार्गदर्शन में बनी जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 1967 में 9 से ज्यादा राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, परन्तु पहली बार केन्द्र में मोरार जी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

इलाहाबाइ हाई कोर्ट द्वारा श्रीमती गॉधी के चुनाव को रदद् करने के फैसले का आदर करते हुए त्यागपत्र देने के बजाय श्रीमती गॉधी ने सत्ता में बने रहने के लिए बिना कैबिनेट की स्वीकृति लिए 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया था। एक व्यक्ति के संकट को पूरे देश के संकट में बदल दिया गया।

इमरजेंसी में एक लाख दस हजार से ज्यादा राजनैतिक कार्यकताओं को मीसा, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफत्ार कर जेलों में बंद कर दिया गया। छूटने का कोई ठिकाना नहीं था। कोर्ट जाने पर रोक थी। दलों के कार्यालयों पर ताला जड़ा था। धरना, प्रदर्शन, बंद पर पाबंदी लगी थी। सारी राजनैतिक गतिविधियां ठप्प पड़ी थी। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश में पहली बार सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। अखबारों में केवल सरकारी समाचार छपते थे। पूरे देश में मरघट की शांति थी। पत्रकार, न्यायधीश नौकरशाह सबों ने घुटने टेक दिए। इंदिरा जी के 20 सूत्री और संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम का बोल–बाला था। आपातकाल के समर्थक नारे लगाते थे –"इंदिरा तेरे सुबह की जय, तेरे शाम की जय, तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय"।

इंदिरा गांधी विदेशी मीडिया में अपनी लोकतंत्र विरोधी, तानाशाह वाली छवि से परेशान थी। चुनाव कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाब भी बन रहा था। यद्यपि इंदिरा जी ने 42वें संशोधन द्वारा संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था, फिर भी उन्हें लगा कि विपक्ष के अधिकतर शीर्ष नेताओं के जेलों में बंद रहते यदि इस समय चुनाव करा दिया जाए तो विपक्ष को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा और आसानी से जीत हासिल हो जाएगी।

बीमारी के कारण जेपी पहले ही रिहा कर दिए गए थे। जेपी ने इंदिरा से मुकाबले के लिए सम्पूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर लड़ने की अपील की। भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (संगठन), भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी ने विलय कर जनता पार्टी का गठन कर लिया। घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। 3 फरवरी, 1977 को बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, नन्दिनी सत्पथी और दर्जनों नेताओं ने काँग्रेस से इस्तीफा देकर "कॉग्रेस फार डेमोक्रेसी" का गठन कर लिया। पं. नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी जेपी के समर्थन में आ गईं। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना बुखारी के साथ मुसलमानों की बड़ी जमात जनता पार्टी से जुड गई।

हवा बदल रही थी। विपक्ष के नेताओं की सभाओं में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ने लगी। जेल में बंद नेताओं के प्रति जनता में सहानुभूति थी। दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में जेपी और बाबू जगजीवन राम की रैली में भीड़ को आने से रोकने के लिए उस समय की बाक्स आफिस पर हिट फिल्म 'बॉबी' के दूरदर्शन पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया। बसों का

आवागमन रोक दिया गया। परन्तु जनता ने 'बॉबी' को धता बता दिया। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जे.पी. का भाषण सुना।

धीरे–धीरे वह संसदीय चुनाव जेपी बनाम इंदिरा की लड़ाई में परिवर्तित होने लगा। जेपी ने इस चुनाव को लोकतंत्र बनाम तानाशही की लड़ाई बताया। पहले तो इंदिरा जी को लगा कि आसानी से चुनाव जीत जाएँगी। परन्तु धीरे–धीरे अहसास होने लगा कि इमरजेंसी की ज्यादतियाँ, जर्बदस्ती नसबंदी एवं अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के मकान उजाड़ने के विरुद्ध जनता में जर्बदस्त गुस्सा है। इंदिरा जी के भाषणों में नरमी झलकने लगी। वे ज्यादतियों के लिए मांफी माँगने लगीं।

कम्युनिस्ट पार्टी जेपी आंदोलन के समय से काँग्रेस के साथ खड़ी थी। संसद के भीतर और बाहर कामरेड बेशर्मी के साथ इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे। सी.पी.एम. यद्यपि इमरजेंसी के विरोध में थी परन्तु इसने इमरजेंसी विरोध के आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। अकाली दल का पंजाब में तथा डी.एम.के का तमिलनाडु में जनता पार्टी से समझौता हो गया था।

16 से 19 मार्च के बीच चार चरणों में चुनाव हुआ। 1971 में 341 सीटें जीतने वाली काँग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। जनता पार्टी 270 सीट, काँग्रेस फार डेमोक्रेसी 28 सीट, सी.पी.एम. को 22 सीट प्राप्त हुई। जनता ने इंदिरा जी से बदला ले लिया था। देर रात कैबिनेट की बैठक में इमरजेंसी हटाने का निर्णय किया गया।

आपातकाल एक ऐसा क्रूर सत्य था जिसे याद कर आज भी सिहरन पैदा हो जाती है। हजारों राजनैतिक बंदियों का परिवार बिखर गया। बड़ी संख्या में लोगों की जेलों में ही मृत्यु हो गई। 1977 के चुनाव परिणाम के बाद अब देश में कोई तानाशाह नहीं पनप सकता है। कोई प्रेस पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। निरीह समझे जाने वाली जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लोकतंत्र जनता के दिलों दिमाग में बसा है। यदि वहाँ इसकी मृत्यु हो गई तो न कोई संविधान और न ही न्यायाधीश उसको बचा पाएगा।

जे.पी. ने इसे आजादी की दूसरी लड़ाई की संज्ञा दी। अन्ततः तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत हुई और भारत की जनता को वोट की ताकत का पहला एहसास हुआ।

◈◈◈

संवैधानिक तानाशाही के बुलडोजर का डरावना सच था आपातकाल

1971 में भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न संकट का मुकाबला करने के लिए धारा 352 के तहत देश में पहले से एक इमरजेंसी लागू थी। फिर आंतरिक गड़बडियों के कारण देश की सुरक्षा पर संकट के नाम पर एक और इमरजेंसी 25 जून 1975 को थोपने का क्या औचित्य था ? क्या वास्तव में आंतरिक अराजकता के कारण देश की सुरक्षा खतरे में थी?

यदि 12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गाँधी के चुनाव को रद्द नहीं करता तथा 23 जून को सुप्रीम कोर्ट संसद में मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं करता तो संभवतः देश पर दूसरी इमरजेंसी नहीं थोपी जाती।

सत्ता में बने रहने के लिए विपक्ष और मीडिया का मुँह बंद करना आवश्यक था। अतः जेपी सहित 1 लाख 10 हजार राजनैतिक कार्यकर्ता जेलों में बंद कर दिए गए । सेंसरशिप लागू कर दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धरना, प्रदर्शन, बंद जुलूस निकालने पर रोक थी। राजनैतिक दलों के कार्यालय पर ताले लटक गए। कांग्रेस के लोग '' इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा'' के नारे लगा कर तानाशाही का नया नरेशन गढने लगे। पूरे देश में डर, भय, आतंक का महौल पैदा कर दिया गया ताकि कोई सरकार को चुनौती नहीं दे सके।

बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति और गोलकनाथ – केशवानंद भारती मुकदमें में सरकार के खिलाफ निर्णय के बाद सरकार और न्यायपालिका में टकराव बढ़ने लगा। न्यायाधीशों को सबक सिखाने के लिए वरिष्ठतम जजों को दरकिनार कर अनुकूल और कनिष्ठ जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाने लगा।

फिर खेल प्रारम्भ हुआ संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में सही ठहराये गए आरोपों को निष्प्रभावी बनाने का। लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की धज्जियां

उड़ाकर वे सारे संशोधन किए गए जिससे इंदिरा गांधी का अवैध चुनाव न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही वैध हो जाए। इंदिरा गाँधी पर एक आरोप था कि उन्होंने निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया है। इस बीच 3 अक्टूबर 1974 को अमर नाथ चावला केस में कोर्ट के द्वारा चुनावी खर्च संबंधी निर्णय से इंदिरा गांधी का न्यायालय में लम्बित मुकदमा प्रभावित हो सकता था। अतः 21 दिसम्बर, 74 को जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 में एक स्पष्टीकरण भूतलक्षी प्रभाव से जोड़ा गया जिसके द्वारा किसी राजनैतिक दल, मित्र, समर्थक द्वारा किया गया खर्च उम्मीदवार के खर्च में शामिल नहीं होगा। इस प्रकार खर्च संबंधी आरोप को निष्प्रभावी कर दिया गया।

इमरजेंसी लगाने के साथ ही सरकार ने संविधान की धारा 359(1) के तहत आदेश निर्गत कर दिया कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रावधान 14, 21 और 22 को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में एटर्नी जनरल नीरेन डे ने कहा कि "यदि किसी व्यक्ति को गोली मार दी जाय तो भी न्यायालय इमरजेंसी में पीड़ित की कोई मदद नहीं कर सकता है।" सुप्रीम कोर्ट ने 4–1 के बहुमत से 9 उच्च न्यायालयों के निर्णय को खारिज कर फैसला दिया कि मीसा के तहत गिरफ्तार कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में रिट दाखिल नहीं कर सकता है।

इंदिरा गांधी जल्दबाजी में थीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के पहले सारे संशोधन करवा लेना चाहती थीं। 21 जुलाई, 75 को संसद का सत्र आहूत किया गया। विपक्ष के सभी प्रमुख नेता जेल में बंद थे। प्रश्न काल स्थगित कर दिया गया। सबसे पहले 38वां सविधान संशोधन लाकर धारा 352 को संशोधित किया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने के निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

4 अगस्त, 1975 को निर्वाचन कानून (संशोधन) बिल, 1975, संसद में पेश किया गया जिसके द्वारा आधे दर्जन संशोधन कर भूतलक्षी प्रभाव से इंदिरा गांधी की चुनाव याचिका से जुड़े सभी आरोपों को निष्प्रभावी बना दिया गया।

जिन मामलों का निष्पादन कोर्ट ने कर दिया था, उन पर भी ये संशोधन लागू कर दिए गए। अयोग्यता समाप्त करने या कम करने का अधिकार भी चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति को सौंप दिया गया।

इंदिरा गांधी इतने से ही संतुष्ट नहीं थी। 11 अगस्त, 1975 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव से जुड़े मुकदमे की सुनवाई के पहले बची खुची त्रुटियों को भी कील कांटा ठोकर चुनाव याचिका को पूर्णतया निष्प्रभावी कर दिया गया। 39वां संविधान संशोधन विधेयक 7 अगस्त को लोकसभा से, 8 अगस्त को राज्य सभा से और 9 अगस्त को पहले से आहूत 17 राज्य विधान सभाओं से आमंत्रित विपक्ष नेताओं की गैरमौजूदगी में चंद घंटों में पारित करा कर 10 तारीख की रात्रि तक राष्ट्रपति की सहमति ले ली गई।

39वें संविधान संशोधन में विशेष प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति के विरूद्ध चुनाव याचिका से जुडे किसी मामले में यदि न्यायालय ने इस संशोधन के पूर्व दोषी पाया है, तो भी वह चुनाव अवैध नहीं माना जाएगा।

इस घटनाक्रम पर एक विदेशी अखबार का शीर्षक था "कानून उल्लघंन के दोषी हैं, तो क्या करना चाहिए। सरल। कानून को ही भूतलक्षी प्रभाव से बदल दीजिए।"

संसद के अंतिम दिन यानि 9 अगस्त, 1975 को कानून मंत्री गोखले ने एक और संविधान संशोधन बिल लाकर सबको चौंका दिया। इसमें प्रावधान था कि राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री द्वारा पद ग्रहण करने के पूर्व एवं कार्यकाल के दौरान किए गए किसी आपराधिक कृत्य के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। यानि अगर कोई व्यक्ति अत्यंत घृणित काम करता है और एक दिन के लिए भी राज्यपाल बन जाए तो वह आजीवन सभी आपराधिक मामलों से मुक्त समझा जाएगा।

राज्य सभा से बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। चूंकि संसद उसी दिन स्थगित हो गई, अतः उसे लोक सभा में पेश नहीं किया जा सका। इस बिल की व्यापक आलोचना होने के कारण इसे कभी संसद से पारित नहीं कराया गया।

28 अगस्त, 1976 को कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला 42वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के समक्ष पेश किया गया। इसमें प्रावधान था कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्णय न्यूनतम सात जजों की बेंच ही कर सकेगी और किसी कानून को 2/3 के बहुमत से ही असंवैधानिक घोषित किया जा सकेगा। केशवानंद भारती के मामले में मूलभूत ढांचे के

सिद्धांत को बलि चढ़ाते हुए प्रावधान किया गया कि धारा 368 के तहत किए गए सभी संविधान संशोधन वैध माने जाएंगे। संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़कर 6 साल कर दिया गया।

यद्यपि 7 नवम्बर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गाँधी को चुनाव में भ्रष्टाचार से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया, परन्तु 39वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा उन्होंने अपने अवैध चुनाव को वैध करने का प्रयास किया था , उसे खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री पद पर आसीन एक व्यक्ति अपनी सत्ता बचाने के लिए किस प्रकार संविधान का दुरूपयोग कर सकता था है, इसका शर्मनाक उदाहरण था वह आपातकाल।

1977 में इंदिरा गाँधी चुनाव हार गईं। 1977 में बनीं जनता पार्टी की सरकार ने 43वां एवं 44वां संविधान संशोधन कर ऐसे प्रावधान किये ताकि भविष्य में देश में कोई व्यक्ति संवैधानिक तानाशाही कायम न कर सके।

आजाद भारत के इंतिहास में सन् 75 वाली इमरजेंसी एक ऐसा बदनुमा धब्बा है, जिसकी बड़ी कीमत इस देश को चुकानी पड़ी।

◈◈◈

आपातकाल एक ऐसा क्रूर सत्य था जिसे याद कर आज भी सिहरन पैदा हो जाती है। हजारों राजनैतिक बंदियों का परिवार बिखर गया। बड़ी संख्या में लोगों की जेलों में ही मृत्यु हो गई। 1977 के चुनाव परिणाम के बाद अब देश में कोई तानाशाह नहीं पनप सकता है। कोई प्रेस पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता।

सुशील कुमार मोदी

प्रेस के लिए कोरोना काल था इंदिरा का आपातकाल

1975 के पहले भी 1962 में साम्यवादी चीन के आक्रमण और मात्र नौ साल बाद 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण आपातकाल लगाना पड़ा था, लेकिन दोनों बार प्रेस की आजादी नहीं छीनी गई थी। 1962 में कांग्रेस सरकार की गलतियों और प्रतिरक्षा नीति की खुलेआम आलोचना होती रही। विपक्ष एवं प्रेस के विरोधी स्वर के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु को अपने चहेते रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन का इस्तीफा लेना पडा था। परन्तु पंडित नेहरु ने कभी प्रेस की आजादी में दखल नहीं दिया।

इसके विपरीत श्रीमती इंदिरा गॉधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उनके चुनाव को रदद् करने के बाद त्यागपत्र देने के बजाय अपने पद पर बने रहने के लिए 25–26 जून की आधी रात को जो इमरजेंसी लगायी, उसकी सबसे बड़ी मार प्रेस पर ही पड़ी। इंदिरा जी का आपातकाल स्वतंत्र प्रेस के लिए उस वक्त का कोरोना काल साबित हुआ। उस दौर में प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों के कार्यालय दिल्ली के जिस बहादुरशाह जफर मार्ग पर थे, वहां की बिजली लाईन काट दी गई, ताकि अगले दिन के अखबार प्रकाशित नहीं हो सकें। जो अखबार छप भी गए, उनके बण्डल जप्त कर लिए गए। हॉकरों से अखबार छीन लिए गए।

आदेश था बिजली काट दो, मशीन रोक दो, बण्डल छीन लो। 26 जून की दोपहर होते–होते प्रेस सेंसरशिप लागू कर अभिव्यक्ति की आजादी को रौंद डाला गया। अखबारों के दफ्तर में अधिकारी बैठा दिये गये। बिना सेंसर अधिकारी की अनुमति के अखबारों में राजनीतिक समाचार नहीं छापे जा सकते थे।

जब इंद्र कुमार गुजराल सरकार के मनोनुकूल मीडिया को नियंत्रित नहीं कर पाए तो आपातकाल के शुरूआती दिनों में उन्हें हटा कर विद्याचरण शुक्ल को नया सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर सहित लगभग 250 पत्रकारों को पूरे आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 50 से ज्यादा पत्रकारों, कैमरामेन की

सरकारी मान्यता रद्द कर दी गई। प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया भंग कर दिया गया। इतना ही नहीं आयकर, बिजली, नगरपालिका के बकाये की आड़ में अखबारों पर छापे डाले गये । बैंको को कर्ज देने से रोका गया। कुछ अखबारों का प्रबंधन सत्ता समर्थक लोगों के हाथों में सौंपने का प्रयास भी हुआ था।

कुछ अखबारों ने सेंसरशिप के पहले दिन विरोध में सम्पादकीय स्थान को खाली छोड़ दिया। एक अखबार ने सेंसरशिप की आँखों से बचकर शोक सन्देश के कालम में छापा–'आजादी की माँ और स्वतंत्रता की बेटी लोकतंत्र की 26 जून,1975 को मृत्यु हो गई'। उस वक्त कुछ मुट्ठी भर पत्रकारों एवं 1–2 अखबारों को छोड़ कर ज्यादातर ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए।

सेंसरशिप के कारण जेपी सहित अन्य कौन–कौन नेता कब गिरफ्तार हुए, उन्हें,किन–किन जेलों में रखा गया, ये समाचार छपने नहीं दिये गए। यहाँ तक की संसद एवं न्यायलय की कार्यवाही पर भी सेंसरशिप लागू थी। संसद में अगर किसी सदस्य ने आपातकाल, प्रधानमंत्री या सेंसरशिप के खिलाफ भाषण दिया, तो वह कहीं नहीं छप सकता था। सीपीएम नेता नम्बूदरीपाद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिख कर कहा था कि आजादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों ने विरोधी नेताओं के नाम और बयान छापने पर रोक नहीं लगाई थी। श्री नानी पालकीवाला इंदिरा गाँधी के सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, लेकिन उन्होंने आपातकाल के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका वह पत्र कभी छप नहीं सका। न्यायालय में सरकार के विरुद्ध दिए गए निर्णय को छापने की भी मनाही थी।

यह विडम्बना थी कि जिस इंदिरा गांधी ने 1975 में प्रेस सेंसरसिशप लागू किया, उसी इंदिरा नेहरू गांधी के पति फिरोज गांधी प्रेस की आजादी और विचारों की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। स्वाधीन भारत के प्रारम्भिक वर्षो में संसद की कार्यवाही को छापने पर अनेक पाबंदियां थीं और इसका उल्लंघन करने पर किसी पत्रकार पर मुकदमा चलाया जा सकता था। बाद में फिरोज गांधी के प्रयास से यह प्रतिबंध हटा। उन्होंने सांसद के तौर पर गैर–सरकारी विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल) लाकर 'संसदीय कार्यवाही प्रकाशन एवं संरक्षण एक्ट 1956' पारित कराया, जिसमें संसद की कार्यवाही के प्रकाशन पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

इंदिरा गांधी ने 1972–73 में भी अखबारों की आजादी पर अकुंश लगाने का परोक्ष प्रयास किया था। उन दिनों न्यूज प्रिंट आयात किया जाता था और सर्कुलेशन के आधार पर उनके न्यूज प्रिंट का कोटा निर्धारित था। 1972–73 में न्यूजप्रिंट पालिसी के अंतर्गत सरकार ने नई पाबन्दियाँ लगा रखी थीं। इसके अनुसार कोई समाचार–पत्र समूह दो से ज्यादा अखबार या नया संस्करण नहीं निकाल सकता था, अखबार 10 पृष्ठ से ज्यादा के नहीं हो सकते थे, समूह के भीतर कोटा की अदला–बदली नहीं हो सकती थी, आदि–आदि। इस मामले में इंदिरा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुँह की खानी पड़ी थी।

आपातकाल की ज्यादतियों के समाचार को विदेशी अखबारों में छपने से सरकार रोक नहीं पा रही थी। इंदिरा जी विदेशी पत्रकारों पर काफी नाराज थीं। लोग विश्वसनीय समाचार के लिए आकाशवाणी के बजाय बी.बी.सी.न्यूज पर भरोसा करने लगे थे। भारत में बी.बी.सी. के प्रमुख संवाददाता मार्क टुली को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स, न्यूज वीक, द डेली टेलीग्राफ के संवादाताओं को भी भारत छोड़ना पड़ा।

सरकार पर कटाक्ष करने वाले कार्टून, व्यंग्य, चुटकले भी सेंसर की मार से बच नहीं पाए। अपने समय के व्यंग्य चित्रों की प्रसिद्ध पत्रिका "शंकर्स वीकली" को अपना प्रकाशन बंद करना पड़ा। वीकली ने अंतिम सम्पादकीय में लिखा–'तानाशाही कभी हँसी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि तब लोग तानाशाह पर हँसेंगे।

केवल पत्रकार ही नहीं, फिल्मी हस्तियों पर भी गाज गिरी। जो अभिनेता–कलाकार सरकार के समर्थन में नहीं थे, उन्हें काली सूची में डाल दिया गया। प्रसिद्ध पार्श्वगायक किशोर कुमार के रोमांटिक फिल्मी गानों का आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण रोक दिया गया था।

गुलजार की फिल्म 'आंधी' पर रोक लगा दी गई क्योंकि नायिका सुचित्रा सेन और नायक संजीव कुमार फिल्म में इंदिरा गांधी और फिरोज गॉधी से मिलते जुलते लगते थे। कांग्रेस सांसद अमृत नाहटा की फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' भी कोपभाजन बनी। उसमें शबाना आजमी और राज बब्बर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के प्रिंट को जला दिया गया।

अखबारों की खबरों पर सेंसर के कारण भूमिगत प्रचार तंत्र तैयार हो गया। गुप्त रूप से निकलने वाली पत्र–पत्रिकाओं, पर्चों का वितरण और सार्वजनिक दीवरों पर चोरी छिपे नारे आदि लिखना ही जोखिम भरा माध्यम रह गया था। ऐसे पर्चे छापने वाले 'प्रिंटिंग प्रेस पर ताला लगा दिया गया। गिरफ्तारी के डर से साइक्लोस्टाईल कर चोरी छिपे पर्चा, पत्रिकाएं वितरित की जाने लगी।

प्रेस पर ऐसे कठोर अंकुश लगाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गाँधी जमीनी हकीकत से काफी दूर हो गई। जनता के बड़े वर्ग में भीतर–भीतर ऐसा आक्रोश पनपा कि जब आपातकाल हटने के बाद मार्च 1977 में संसदीय चुनाव हुए, तब लगभग पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। प्रेस की आजादी छीनने की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गँवा कर चुकानी पड़ी थी।

◈◈◈

पेरोल पर रिहाई, पिटाई, फिर जेल

सरकार से अपनी सगी बहन उषा की शादी में शामिल होने के लिए पेरोल (छुट्टी) माँगा था। सरकार ने इंकार कर दिया। अपनी सगी बहन की शादी में शरीक होने से वंचित हो गया। इस बीच चचेरी बहन रेणु की शादी 21 जनवरी, 1976 को निर्धारित हो गई। पेरोल पर रिहा होने की इजाजत बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद मिली। सोचा, सगी बहन न सही, चचेरी बहन की शादी में तो शामिल हो जाऊँगा। परन्तु इमरजेंसी के दौरान अधिकारियों के निरंकुश व्यवहार, अहंकार और अत्याचार की दुःखती यादों की तरह यह घटना भी मेरी जेल डायरी में दर्ज हो गई।

केन्द्रीय कारा, हजारीबाग के गेट के सामने ही जिले के उपायुक्त श्री दुर्गा शंकर मुखोपाध्याय का बंगला था। जेल से पेरोल पर रिहा होते ही सोचा कि उपायुक्त से मिलकर जेल की अव्यवस्था से उनको अवगत करा दूँ। सामान रिक्शा पर ही था। मैं, सीधे बंगले में प्रवेश कर गया। उपायुक्त गाड़ी पर बैठने ही जा रहे थे। मैं हिम्मत कर उनकी गाड़ी के पास गया और अपना परिचय देते हुए कहा ''सर, एक मिनट आपसे बात करनी है।'' इतना कहना था कि उपायुक्त गाड़ी से उतरे और मुझे मारना शुरू कर दिया। उनके अहंकार को ठेस लगी कि इमरजेंसी में एक मीसाबंदी बिना इजाजत के बंगले में कैसे चला आया? वे घूसों, थप्पड़ों से मारे जा रहे थे। मैंने कहा 'सर माफ कर दीजिए। गलती हो गई। कल बहन की शादी है' वे गुस्से में बोल रहे थे 'जानते नहीं जिला का मालिक हूँ। जिन्दगी भर जेल में सड़ा दूँगा।' मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे कालर पकड़ कर घसीटते हुए बगल के कमरे में बंद कर दिया।

थोड़ी देर बार हजारीबाग कोतवाली की पुलिस ने आकर मुझे गिरफ्तार कर पुलिस हाजत में बंद कर दिया। 6 माह बाद जेल से निकला था और 2 घंटे के भीतर फिर पुलिस हिरासत में पहुँच गया। इमरजेंसी का इतना खौफ कि कोई स्थानीय कार्यकर्ता गिरफ्तारी के डर से मिलने तक

नहीं आया। 24 घंटे बाद मुझे कोर्ट में पेश किया गया। परिवार के लोगों ने पटना से आकर जमानत ली। जब तक सड़क मार्ग से पटना पहुँचता तब तक शादी की अधिकांश रस्में पूरी हो चुकी थी।

इमरजेंसी की ज्यादतियों की जाँच के लिए तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में शाह आयोग का गठन किया था। यह मामला शाह आयोग तक पहुँचा। परन्तु 2 वर्ष के भीतर ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और सारे मामले ठण्डे बस्ते में दफन हो गए।

इमरजेंसी के दौरान एक लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रेस सेंसरशीप, नसबंदी आदि के नाम पर निरंकुश शासन की ज्यादातियों, देश में संवैधानिक तानाशाही थोपने के प्रयास का खामियाजा इंदिरा गांधी को 1977 में भुगतना पड़ा था, जब वे खुद चुनाव हार गई और कांग्रेस का केन्द्र की सत्ता से सफाया हो गया।

◈◈◈

इमरजेंसी की ज्यादतियों की जाँच के लिए तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में शाह आयोग का गठन किया था। यह मामला शाह आयोग तक पहुँचा। परन्तु 2 वर्ष के भीतर ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और सारे मामले ठण्डे बस्ते में दफन हो गए।

सुशील कुमार मोदी

जब सगी बहन की शादी में शामिल होने से सरकार ने इन्कार कर दिया

सुशील मोदी का पत्र बहन के नाम

बहनों को पत्र

आपातकाल में मीसाबंदी श्री सुशील कुमार मोदी ने जेल से अपनी बहनों को जो पत्र लिखे, उनमें बहन की शादी जैसे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल न हो पाने की वह मानवीय कसक झलकती है, जो जेल प्रशासन की स्थायी संवेदनहीनता के कारण कैदियों को अकसर झेलनी पड़ती है। इन पत्रों से यह भी पता चलता है कि देश में सकारात्मक बदलाव लाने की सोच पर दृढ़ रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को कितनी कठोरता से अपनी कोम भावनाओं पर वैचारिक विजय प्राप्त करनी पड़ती है। अकसर लोग किसी व्यक्ति का केवल उज्ज्वल-सफल और दमकता हुआ दौर देखते हैं, लेकिन उसकी जीवन-यात्रा के कठिन दिनों से परिचित होना भी महत्त्वपूर्ण होता है। पत्र-जैसे दस्तावेज इस दृष्टि से सर्वाधिक ईमानदार गवाह माने जाते हैं। इनमें व्यक्ति अपनी अधिकतम सहजता के साथ अभिव्यक्त होता है। यहाँ प्रस्तुत हैं सभी बहन उषा और चचेरी बहन कुसुम को जेल से लिखे सुशील कुमार मोदी के तीन पत्र, जिनमें जेल-जीवन के कई दूसरे पहलू भी उजागर होते हैं।

जब देश पर संकट हो, एक भाई का जेल में होना क्या मायने रखता है...

(आपातकाल के दौरान यह पत्र केंद्रीय कारा, हजारीबाग (अब झारखंड) से लिखा गया था। जेल प्रशासन ने राजनीतिक बंदी सुशील कुमार मोदी की सगी बहन की शादी में शामिल होने के लिए भी रिहा करने से मना कर दिया था।

22.01.76

हजारीबाग कारा

प्रिय बहन उषा,

संध्या के 7 बज रहे हैं। तुम्हारा साथी द्वार पर आ चुका होगा। शहनाई बज रही होगी। सोरे लोग बारात की आव-भगत में व्यस्त होंगे। सारा घर परिवार के सदस्यों-मित्रों और परिजनों से भरा होगा। कल तुम अपने नए घर में चली जाओगी। नवीन जीवन प्रारंभ करोगीं ऐसी मंगल बेला में तुम्हारा एक भाई इस कार्य में सहयोगी नहीं हो सका। तुम लोगों को भी मेरा अभाव खटक रहा होगा। बार-बार आज का दिन भुलाना चाह रहा था, ताकि मानसिक कष्ट न हो। किंतु रह-रहकर तुम्हारी याद आ जाती थी। फलतः यह पत्र लिखने बैठ गया। उषा चिंता मत करो, शीघ्र मैं बाहर आकर अपनी अनुपस्थिति के अभाव को दूर कर दूँगा। मैं भले ही तेरी शादी में शरीक नहीं हो सका, परंतु तेरे अनेक भाई तो वहाँ होंगे ही। उषा, जब देश पर इस प्रकार संकट के बादल घिरे हों, हजारों नौजवान, स्त्री, पुरुष जेल में बंद हो, तो केवल एक तेरा भाई क्या महत्त्व रखता है।

कितने लोगों के घरों में मृत्यु हो गई, फिर भी वे अपने घर वालों के अंतिम दर्शन भी कर नहीं सके? ऐसे सोचो, तो शादी कौन सी बड़ी चीज है? उषा तुम लोगों को लगता होगा कि मैं घर की कोई सहयोग नहीं करता और शाद कर भी न पाऊँ? परंतु यदि मेरे जैसे हजारों नौजवान अपनी जवानी खपा कर देश के लाखों परिवारों कोखुशहाल कर सके, तो समझना हमारा जीवन सार्थक हो गया। तुम्हारी शादी के बाद शायद मेरा ही नंबर है। किंतु निश्चय किया है कि आगामी 5 वर्ष अभी इस संबंध में कोई विचार नहीं करूँगा।

अरे। मैं तो केवल अपनी बात करता रह गया। तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, आगामी योजना क्या है? अब बचपना छोड़कर नए घर को सुख, शांति, समृद्धि

प्रदान करो। तुम्हारा एक फालतू भाई इससे अधिक इस चाहरदिवारी से तुझे और क्या आशीर्वचन दे सकता है? ईश्वर से यही प्रर्थना है कि तेरा भावी जीवन सुखमय हो। अरे, जीजाजी का नाम तक भूल गया। वे भी सोचते होंगे कि साला कैसा है कि शादी तक में नहीं आया। जीजाजी, गुस्साइए मत, बाहर आऊँगा, तो परेशान हो जाएँगे। और हाँ, उषा का पूरा ध्यान रखिएगा, खूब काम कराइएगा। यों उषा भोजन बनाने में तो नहीं, किंतु कपड़ा धोने, झाड़ू लगाने जैसे काम बखूबी कर देगी। और उषा, तुम आगे यदि पढ़ाई जारी रखो, तो अच्छ रहेगा। रवि शादी में कुछ काम कर रहा था या नहीं? इससे कहना, हाजीपुर में तुमसे हमेशा मिलता रहे।

फिर मिलेंगे ?

तुम्हारा भाई,
सुशील कुमार मोदी

नोट–किसी को यहाँ भेजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिलने पर बंधन है। Samastipur DC या Home Dept. की अनुमति और फिर हजारबीग DC की अनुमति से ही मुलाकात होी है। यों जब आप चाहें मिल सकते हैं, किंतु इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद मिलने की आवश्यकता नहीं। फिर भी, समाचार भेजना हो तो पत्र द्वारा सीधे भेज दें। आप लोगें ने शादी के उपलक्ष्य में खूब मिठाई खाई। कुछ भी भेजने की आवश्यकता नहीं।

लगता है कि तुम्हारी भी शादी में मैं नहीं ही पहुँच पाऊँगा

10.12.76

कृष्णागार

प्रिय कुसुम,

तुम्हारा पत्र 27 तारीख को प्राप्त हुआ। ऐसा लगा कि पत्र लिखते समय मन कहीं और विचरण कर रहा था। कई बातें इतनी अस्पष्ट थीं, कि क्या कहना चाहती हो, यह पता नहीं चला। खैर, तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक प्रकार से चल रही होगी। नए स्थान और नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित हो गया होगा। दिल्ली की चहल-पहल और उन्मुक्तता में स्वयं पर संयम और नियंत्रण रखना आवश्यकता है।

यहाँ मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। केवल मुलाकात की कठिनाई है। माँ को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। राजा प्रयास कर रहा है कि पी.एम.सी.एच. हो जाए, देखें क्या होता है? कारावधि 17 माह गई और अभी छूटने के कोई आसार नहीं दिखाई पड़ते। परंतु यह समय कब और कैसे बीता, पता ही नहीं चला। अब तो दो-चार वर्ष जेल में रहने के लिए मन को कठोर बना लिया है। लगता है कि तुम्हारी भी शादी (जब भी हो) में मैं नहीं ही पहुँच पाऊँगा।

असल में हमारे और तुम लोगों के सोचने के दृष्टिकोण में ही अंतर है। जिसे तुम लोग फालतू काम, समय बरबाद करना वगैरह समझती हो, वही हम लोगों के जीवन का लक्ष्य हो गया है।

वहाँ तो तुम प्रत्येक सप्ताह टी.वी. या हॉल में सिनेमा देखती ही होगी। यहाँ पिछले सप्ताह 'मेला' और 'वक्त' फिल्म प्रदर्शित की गई। रील इतनी घिसी हुई थी कि रह-रहकर मजा किरकिरा हो जाता था, परंतु जेल में सिनेमा का नाम ही पर्याप्त है। यह जानकर तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि अब मुझे सिनेमा से विरक्ति हो गई है। कोई विशेष आकर्षण नहीं रह गया है।

जेल है तो बहुत अच्छी। लगता है, कोई छोटे-मोटे कस्बे में आ गए हैं। जेल की अपनी जिंदगी है। छोटी चारदीवारी में सारी दुनिया समाई है। जिसने एक बार जेल काट ली, उसे नरक में भी तकलीफ नहीं होगी। प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसके किनारे सुबह-शाम घूमने वालों के लिए यही मेरिन ड्राईव से लेकर डल झील तक के समान है। यहाँ भी एक कनाट प्लेस है। शाम को सारे राजनीतिक बंदी घूमते टहलते वहाँ अवश्य पहुँचते हैं।

हम लोग सेल में हैं, यानी Single Seated Room ही समझो। फर्क केवल इतना है कि बिजली नहीं और रात 8 बजे ताला लगता है तो सुबह छह बजे खुलता है। जेल की अपनी एक दुनिया है और अपनी शब्दावली भी है। हाजती, आसामी, नंबरबंदी, टिकट माकी, जुबिलेन, पहरा, मेट, डंडा-बेड़ी राईटर, पनिया। यह जेल B-class Jail है। यहाँ 90 प्रतिशत बंदी 302 (हत्या) और 385 (डकैती) के मामले में 20 बरसा सजायाफ्ता हैं।

जेल की बहुत सी बातें लिख डाली है। तुम्हारा समय अत्यंत व्यस्तापूर्वक व्यतीत होता होगा। मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मित्रों से चर्चा करते हुए बड़ा गौरव होता है कि मेरी छोटी बहन ने प्रथम श्रेणी में Honours किया और अब दिल्ली में Training ले रही है। उषा को और घर बराबर पत्र लिखा करना। वहाँ के बारे में कुछ विस्तृत बातें लिखना।

तुम्हारा

सुशील कुमार मोदी

जेल में पुस्तकें जीर्ण-शीर्ण, गाँजा-भाँग और शराब की दुकान गुलजार

कृष्णानगर

प्रिय उषा,

तुम्हारा भेजा हुआ ग्रीटिंग कार्ड अभी तक नहीं पहुँचा। तुम सपरिवार सकुशल होगी। माँ पिछले कई दिनों से मिलने हेतु आई.डी. की अनुमति लेने का प्रयास कर रही थी, परंतु अभी तक तो अनुमति प्राप्त नहीं हुई। यूँ मैं पुनः पी.एम. सी.एच. जाने के प्रयास में लगा हूँ, राजा कोशिश भी कर रहा है। यदि हो गया तो अगले माह तक पटना आ सकता हूँ। कुसुम का एक पत्र आया था। आज ही उसका जवाब भेजा है। तुम से पत्रचार होता होगा। इधर कई दिनों से घर का कोई पत्र नहीं आया है। कुसुम को मैंने लिख दिया है कि अपनी शादी में मेरा इंतजार न करना।

जेल का अस्पताल भी काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन वहाँ आदमी के डॉक्टरों के स्थान पर गाय-भैंस के डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती हैं गोशाला भी है, जहाँ गायों की देखभाल मनुष्य से बेहतर तरीके से की जाती है। कारण भी तो है, उसका दूध रोगियों के स्थान पर जेल अधिकारियों के काम जो आता हैं पुस्तकालय भी है। जीर्ण-शीर्ण पुस्तकें हैं कुछ अच्छी भी हैं। दुकानें? अवैध रूप से भाँग, गाँजा से लेकर शराब तक उपलब्ध। जुआ खेलने का भी स्थान है, जिसका कुछ हिस्सा चीफ वार्डर को मिलता है। जो कैदी चूँ-चपड़ करता है, उसके पाँवों में बेड़ी डालकर सेल में ठूस दिया जाता है। बेनीपुरी ने ठीक ही कहा है-पतितों के देश में...

ये सारी बातें सुनकर घबरा मत जाना। हम लोग इन अवस्थाओं से अलग हैं, परंतु मैंने तो जेल के भीतर सजायाफ्ता लोगों का जीवन किस प्रकार का है, उसकी थोड़ी जानकारी भर दी है।

मेरा अध्ययन चल रहा है। इन दिनों उर्दू और बँगला सीख रहा हूँ। दोनों भाषा पढ़ना और लिखना आ गया है। केवल बांग्ला धारा प्रवाह नहीं बोल पाता। जानकर मैं सेल में ही आया, ताकि पढ़ाई-लिखाई हो सके। मित्र मंडली भी काफी मजेदार है।

अरुण बाू कुछ मोटाये या उसी प्रकार दुबले-पतले हैं। उनसे काहे कि थोड़ी केसर के साथ दूध पीएँ। परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार कहना। यहाँ हाजीपुर के श्री केशव शर्मा और गोरौल के भूतपूर्व विधायक श्री बेच शर्मा भी हैं।

शेष कुशल।

तुम्हारा

सुशील कुमार मोदी

EMERGENCY: COMMAND OF A DESPOT

On the midnight of 25th – 26th June 1975, the President of India on advice of Indira Gandhi and without approval of her Cabinet, signed a proclamation 'declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances'. What was the need for a second emergency when an emergency due to Indo-Pak war was already in existence since 1971? Was security of India really threatened due to internal disturbances?

The immediate trigger for imposition of emergency was the judgment of Allahabad HC on 12th June1975 which found Mrs. Gandhi guilty of electoral corrupt practices and disqualified her from holding any public office for 6 years. On 23rd June, the Supreme Court Vacation Judge granted partial stay but without any voting right in Parliament.

Ego shattered, pride beaten, a united opposition under JP baying for her resignation, a loud media waiting for every opportunity to criticize, a non-pliant judiciary that struck down bank nationalization, privy purses case and clipped the power of Parliament by propounding the basic structure doctrine in Kesavananda Bharti, all seemed to challenge the authority of Indira Gandhi. Feeling insecure and threatened, Indira Gandhi opted for imposition of emergency to silence her critics.

More than a lakh-political workers including JP, Morarji, Atalji, Charan Singh were arrested under Defence of India Rules and MISA. Censorship was imposed on the media. RSS was banned. All political activities were

forbidden. Many newspapers carried blank editorials to protest censorship. To evade the eyes of censor, one newspaper inserted a news item in the obituary column. "Died, D.E.M. OCRACY, Mother of Freedom, Daughter of L.I. Berty, on 26thJune, 1975'.

Prior to imposition of emergency, onslaught on the judiciary had begun. Mrs. Gandhi superseded three judges who had given the judgment against the government in Kesavananda Bharti case and appointed Justice AN Ray as Chief Justice. In another instance, Justice HR Khanna was superseded and Justice HM Beg was appointed as Chief Justice. 14 High Court judges who were found not pliable were transferred.

On 27th June 1975, a declaration was made under Article 359(1) whereby no person could move the courts for enforcement of Articles 14, 19 and 21. The height of subversion was exemplified by then Attorney General Niren De stating in open court that during emergency, even if a person was threatened to be killed, he had no remedy in law. The Supreme Court overruled 9 High Courts that had given relief to the detenues and held that persons arrested under MISA could not file writ petitions before High Courts.

During this period, sycophancy was also at its peak. The Congress which claimed monopoly over the Indian freedom movement was sloganeering 'Indira is India and India is Indira'. With the entire opposition in jail and media gagged, governance through arrest, fear, intimidation and terror, became the norm.

The election disqualification case in the Supreme Court was scheduled for hearing from 11th August1975. Indira Gandhi was in a tearing hurry to amend both the Constitution and the Representation of Peoples Act retrospectively to legislatively validate her election.

On 21st July1975, Parliament was convened. By passing the 38th constitution amendment, imposition of emergency was made non-justiciable as it involved 'waste of public money'. On 4th August1975, Election Law (Amendment) Bill was introduced to retrospectively validate all corrupt practices on which Mrs. Gandhi's election had been challenged. These amendments took care of the issue of election symbol, election expenses, resignation of government servants etc. The amendment shifted the power to remove or reduce disqualification from Election Commission to the President.

By the 39th constitution amendment, elections of Prime Minister, President, Vice President and Speaker could not be called in question before any court. It also added that any order made by any court setting aside an election of these four functionaries would be deemed to be void and any such order passed earlier would also be deemed to be void.

Another deplorable amendment that eventually lapsed was 41st constitutional amendment that sought to amend Article 361 and give life long immunity from criminal prosecution to the Prime Minister, Governor and President for all acts done before assumption of office and during their tenure in office. This meant that a person committing the most heinous crime could escape law be becoming Governor even for a day.

The misuse of constitutional powers did not stop there. On 28th August1976, the 42nd constitution amendment was introduced which provided that constitutionality of a legislation could only be decided by not less than 7 judges and any law could be struck down by only 2/3rd majority of judges. To negate the principle of basic structure, the Bill provided that any constitutional amendment under Article 368 would be valid. The amendment also increased the tenure of Lok Sabha from five to six years.

Thus, all loopholes were plugged. Rules of the game were changed retrospectively. The amendments removed the whole basis on which Mrs. Gandhi had been found guilty. The outcome of the case in Supreme Court was a foregone conclusion. Mrs. Gandhi was eventually acquitted on 7th November 1975 from all the charges.

Confident of victory in elections, Mrs.Gandhi called for early elections to take the opposition by surprise. But in the 1977 general elections, Janta Party stormed into power with a thumping majority. Indira Gandhi was defeated by the same Raj Narain who had filed the election petition in Allahabad High Court. Sanjay Gandhi, the illegitimate constitutional authority during emergency was also defeated. Congress was wiped out of the entire North India and the Hindi heartland. The great upheaval of 1975 was finally reversed after Janta Party introduced the 43rd and 44th amendment and restored the primacy of the constitution and rule of law.

It may be 46 years to that horrid day, but emergency is a story which needs to be told and retold. Emergency strengthened democratic ideals of a free press, an independent judiciary and a transparent government and it was people and their faith in democracy, which emerged as the only true winners.

◈◈◈

REGD. NO. R/SD-23

INDIAN HERALD

NATIONAL ENGLISH DAILY

Founder & Editor: THAKUR V. HARI PRASAD

SPECIAL SUPPLEMENT

2 Pages HYDERABAD, Thursday, June 26, 1975 PRICE 15 Paise

EMERGENCY DECLARED

JP, Morarji, Advani, Asoka Mehta & Vajpayee arrested